HRA AN UNIVERSITY OF India

01/1141/9

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड ३---उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472 1

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2003/आश्विन 7, 1925

No. 472]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2003/ASVINA 7, 1925

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिस्चना

मुम्बई, 27 अगस्त, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 772(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 14/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

1, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 के उप-विनियम (v) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, नामतः :—

(vi) ''विशेष आर्थिक अंचल की मणि और स्वर्णाभूषण इकाइयों और निर्यात उन्मुख इकाइयों द्वारा निर्यात किए गए स्वर्णाभूषणों का मूल्य कीमती धातुओं के रूप में अर्थात् सोना/चांदी/प्लैटिनम के समतुल्य बशर्ते कि बिक्री संविदा में उसका प्रावधान हो और उसका मूल्य संबंधित जीआर/एसडीएफ/पीपी फार्मों में बोषित किया जाता हो।''

[सं. फेमा. 98/2003-आरबी]

उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) (CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th August, 2003

Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment)

(Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 772 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of Notification No. FEMA 14/2000-RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:—

1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2003.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2000, in Regulation 4, after sub-regulation (v), the following sub-regulation shall be added, namely:—

(vi) "in the form of precious metals i.e. gold/sliver/platinum equivalent to value of jewellery exported by Gem & Jewellery units in Special Economic Zones and Export Oriented Units on the condition that the sale contract provides for the same and the value is declared in the relevant GR/SDF/PP forms."

[No. FEMA. 98/2003 RB]

USHATHORAT, Exceutive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 27 अगस्त, 2003

विदेशी मद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 773(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की उपधारा (1) के खंड (क), धारा 7 की उपधारा (3), धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000-आरबी और दिनांक फरवरी 27, 2001 की अधिसूचना सं. फेमा 36/2001-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 9 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :

- (i) उप-विनियम (1) में, मौजूदा पहले परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, नामतः :—
 - ''बशर्ते कि जहां विशेष आर्थिक अंचल में स्थित इकाइयों द्वारा माल और सॉफ्टवेयर निर्यात किए जाते हैं वहां माल अथवा सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन की नियत समय सीमा लागू नहीं होगी''।
- (ii) उप-विनियम (2) के खंड (क) में, ''विशेष आर्थिक अंचल में स्थित इकाई अथवा'' शब्द निकाल दिए जाएं।
- (jii) उप-विनियम (2) के खंड (ख) और (ग) में, ''इकाई''शब्द के स्थान पर''उक्त निर्यातक/कों'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. फेमा. 99/2003-आरबी]

उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th August, 2003

Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services)

(Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 773 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1), Sub-section (3) of Section 7 and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 23/2000-RB dated May 3, 2000 and Notification No. FEMA 36/2001-RB dated February 27, 2001, Reserve Bank makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 as amended from time to time, namely:—

1. Short title and commencement

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2003.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, in Regulation 9,

- (i) in sub-regulation (1), before the existing first proviso, the proviso shall be added as under, namely: "Provided that where the goods or software are exported by the units in Special Economic Zones, the stipulation of period of realisation and and repatriation to India of full export value of goods or software shall not apply".
- (ii) In sub-regulation (2), in clause (a) the words, "by a unit situated in a Special Economic Zone or" may be deleted.
- (iii) In sub-regulation (2), in clauses (b) and (c), for the word "unit", the word, "the said exporter/s" shall be substituted.

[No. FEMA. 99/2003-RB]

USHA THORAT, Executive Director